

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(2) राज/वाद/2024

जयपुर दिनांक 26/04/24

:: आदेश ::

विद्वान महाधिवक्ता, राजस्थान से प्राप्त उनके पत्र क्रमांक एजी/एजीओ/2024/634 दिनांक 23.03.2024 के क्रम में श्री अनिरुद्ध सिंह शेखावत, अधिवक्ता (पंजीयन क्रमांक आर/781/2015) को दिनांक 18.03.24 से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में विद्वान महाधिवक्ता, राजस्थान की सहायतार्थ उनके जूनियर अधिवक्ता के रूप में कार्य करने की सहमति प्रदान की जाती है।

सामान्य शर्तें अनुबंध एवं पारिश्रमिक (फीस) निम्न प्रकार हैं:-


1. जूनियर अधिवक्ता को विद्वान महाधिवक्ता, राजस्थान, जोधपुर को प्रकरण में देय उपस्थिति फीस की 10 प्रतिशत राशि देय होगी।
2. जूनियर अधिवक्ता को देय 10 प्रतिशत राशि विद्वान महाधिवक्ता की अनुशंषा पर संयुक्त रूप से अनुपातानुसार अथवा अनुशंषानुसार जूनियर विशेष को देय होगी।
3. वे किसी निजी पक्षकार अथवा अर्द्धसरकारी निकायों एवं निगमों का ऐसे किसी भी प्रकरण में ब्रीफ स्वीकार नहीं करेंगे, जिनसे राजकीय हित प्रभावित होते हो।
4. उक्त शर्तों के अलावा विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा समय-समय पर जारी सेवा शर्तों/निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

ह.-

(अनुपमा राजीव बिजलानी)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, विद्वान महाधिवक्ता, राजस्थान जयपुर।
2. संबंधित अधिवक्ता।
3. सहायक लेखाधिकारी-प्रथम, वादकरण।
4. विधि विभाग के समस्त विधि प्रकोष्ठ।
5. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।


शासन सचिव, विधि